निर्माण लागत और गुणवत्ता में कमी को लेकर कैग का खुलासा

नवभारत न्यूज

पन्ना 7 दिसंबर। लोक निर्माण विभाग में भवनो के निर्माण में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुचाने के लिये विभागीय अधिकारियों द्वारा कई तरह के हथकण्डों का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि जब अभिलेखों का परीक्षण होता है, लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है तो पता चलता है कि वित्तीय प्रबंधन निविदा प्रक्रिया... ठेका प्रबंधन एवं गुणवत्ता आदि कई घटकों में कई तरह की कमियां पाई जाती है।

वर्ष 2025 को प्रस्तुत सीएजी की एक आडिट में इस तरह की कमियों को प्रतिवेदित किया गया है। इसके साथ ही इस बात की अनुसंशा की गई है कि विभाग की जिम्मेदारी है कि अनियमितताओं का परीक्षण कर उचित कार्रवाई करे। किन्तु विभाग ऐसे मामलों को गंभीरता से नही ले रहा है।

कई कमियों का है उल्लेख:- लेखा परीक्षण के निष्कर्ष में कहा गया है कि कई कार्यों की लागत संबंधित विभाग के अनुमोदन के बिना बढ़ा दी गई, बिल आफ क्वान्टिटी में जो मद व मात्रा शामिल नहीं थी उनका निष्पादन किया गया जबकि जो मद व मात्रा बीओक्यू में शामिल थी उनका निष्पादन नहीं किया गया। प्रशासनिक स्वीकृति से बचत की सूचना संबंधित विभाग को नहीं दी गई एवं शासन के निर्देशों के अनुसार पर्यवेक्षण शुल्क नहीं लिया गया। इसी प्रकार समरूप भवनों में निष्पादित मात्राओं एवं मदों में भी भिन्नता पाई गई। इस तरह का खेल नीचे से ऊपर तक चला।

कई तरह की कमियां उजागर:- कैग के अनुसर लोक निर्माण विभाग में पीआईयू द्वारा भवनों के निर्माण में कई तरह की कमियों को उजागर किया गया है। इनमे प्रमुख रूप से वित्तीय प्रबंधन की कमियां, अनियमित व्यय, मध्यप्रदेश कार्य विभाग नियमावली का पालन न करना, स्वीकृत सीमा से अधिक व्यय करना, प्राक्कलन में उल्लेखित न होने वाली मात्रा के अतिरिक्त कार्य का निष्पादन, अनावश्यक एवं संदिग्ध माप दर्ज करना, स्वीकृत प्रशासनिक स्वीकृति से दस प्रतिशत से अधिक व्यय होने की स्थिति में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न करना अथवा अनुचित रूप से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करना, एसओआर के विपरीत अनियमित पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति देकर लागत में मनमानी वृद्धि करने का खेल, अपूर्ण कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना, बचत राशि के संबंध में संबंधित विभाग को सूचित न करना ओर उस राशि को अनुचित रूप से हजम करने का प्रयास करना, ठेकेदारों से अनुबंध के समय परफारमेंस सिक्योरिटी की राशि नहीं लिया जाना या कम मात्रा में नाममात्र की राशि स्वीकार करना, अपूर्ण कार्य की स्थिति में परफार्मेस सिक्योरिटी की राशि वसूली न करना, डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि में ठेकेदारों के द्वारा सुधार कार्य न करवाना आदि ऐसे कई कारण हैं जिसे लेखा परीक्षा के दौरान कैग की टीम ने पकड़ा एवं विभाग को प्रतिवेदन के साथ सूचित किया। यह भी उल्लेखित किया गया है कि इस तरह की कमियों के चलते शासन को कई करोड़ का नुकसान हुआ जबकि ठेकेदारों को फायदा पहुचाया गया। शिक्षा से संबंधित भवनों के निर्माण में इस तरह की कमियों को देखा गया। इससे पता चलता है कि पीईयू लोक निर्माण विभाग के माध्यम से भवनो के निर्माण में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी विभागीय अधिकारियों की सांठगांठ से होती है।

सुधार के लिये की गई थी अनुशंसा, किन्तु कार्रवाई नहीं

कैग ने कई अनियमितताओं एवं कमियों को चिन्हित करते हुये विभाग कई बिन्दुओं के साथ सुधार की अनुशंसा की थी किन्तु उसका कोई प्रभाव विभाग के उच्चाधिकारियों पर नहीं पड़ा। कहा गया था कि विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि मदी व मात्राओं में बड़े परिवर्तन को संबंधित विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाय। विभाग को त्रुटियों की जांच करनी चाहिये और व्यापक विचलन सहित अत्यधिक एवं अनाधिकृत व्यय के लिये जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिये। यानी जिम्मेदार अधिकारियों के लिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिये, आवश्यकता होने पर वसूली की जानी चाहिये। ठेकेदारों को भुगतान करने के पहले एसक्यूसी द्वारा दर्ज मापों की जांच और सत्यापन आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा किया गया हो। निष्पादन के प्रत्येक चरण में कार्यों की गुणवत्ता की उचित निगरानी सुनिचित होनी चाहिये त्रुटियों से बचने के लिये एसक्यूसी द्वारा कार्य के दायरे एवं टर्ल्स आफ रिफरेंस के अनुसार कार्य किये जायें।

ठेकेदारों को अनुचित लाभ

बताया गया है कि लोक निर्माण विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने ठेकेदारों को अनुचित रूप से करोड़ों का लाभ पहुंचाया। जहां अनावश्यक मदों का निष्पादन किया गया, माप पुस्तिका में बढ़ा कर माप दर्ज की गई, दोहरा माप दर्ज किया गया याने दोहरा भुगतान किया गया, निष्पादन एवं भुगतान के बाद मदों को पुन: वर्गीकृत किया गया, गलत मदों का निष्पादन किया गया, कई कार्यों को अपूर्ण छोड़ दिया गया, डबल व्हील बाईब्रेटर रोलर का प्रयोग नहीं किया गया एवं बोरबेल ड्रिलिंग के संदिग्ध माप दर्ज किये गये। कहा गया है कि इस तरह की गड़बड़ियों के माध्यम से शासन को कई करोड़ की छति पहुंचाई गई। जिसका लाभ ठेकेदारों को दिया गया। ठेकेदारों को लाभ देने का मतलब है कि भ्रष्ट अधिकारियों को भी कमीशन के रूप में मोटी रकम मिली। यहां तक कि भवनो में दीमक निरोधक उपचार, अग्निशमन व्यवस्था एवं वर्षा जल संचयन जैसी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं किया।

विधायक ने जिला अभिभाषक संघ भवन का किया लोकार्पण

नवभारत न्यूज

पन्ना 7 दिसंबर। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पन्ना विधायक बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर एवं जिला न्यायालय के पीछे स्थित जिला अभिभाषक संघ के नवीन भवन का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को सर्वसुविधायुक्त एवं बेहतर नवीन भवन की सौगात से न्यायालयीन कार्यों में सुगमता होगी। इससे अधिवक्ता एवं पक्षकारों को भी एक स्थान पर सहूलियत मिल सकेगी। इस अवसर पर भवन निर्माण के लिए स्वीकृत राशि में शेष बची 4 लाख रूपए राशि के परिसर में ही बेहतर उपयोग की कार्ययोजना बनाने के लिए भी कहा तथा पेयजल सुविधा के लिए वॉटर कूलर एवं आगामी ग्रीष्मकाल के मद्देनजर कूलर देने की घोषणा विधायक द्वारा की गई। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राजेश तिवारी ने निर्बाध रूप से भवन निर्माण के लिए तत्कालीन कलेक्टर के प्रयास की सराहना की। निर्माण एजेंसी आरईएस के अधिकारी ने जानकारी दी कि 39 लाख 46 हजार रूपए लागत राशि के भवन का निर्माण कार्य 35 लाख रूपए में ही पूर्ण कर लिया गया है। गत जून माह में भूमिपूजन के उपरांत निरंतर रूप से कार्य संचालित कर सर्वसुविधायुक्त भवन बनाया गया है।

समाधान योजना का उठाएं लाभ

नवभारत न्यूज

पन्ना 7 दिसंबर। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं के लिए विशेष वसूली समाधान योजना संचालित की गई है। इसमें मासिक किस्तों के साथ एकमुश्त भुगतान पर अधिभार में शत प्रतिशत की छूट जैसे ऑफर विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदान किए जा रहे हैं।

वर्तमान में जिले में घरेलू, कृषि, व्यवसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं सहित एक लाख 17 हजार 367 उपभोक्ताओं का 68.23 करोड़ रूपए बिल बकाया है। कुल बकाया राशि में 10.82 करोड़ सरचार्ज राशि शामिल है। विद्युत कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को राहत देते हुए एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में अधिकतम छूट दी जा रही है। साथ ही किश्तों में भी राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। पन्ना जिले में अब तक तीन हजार 813 उपभोक्ताओं को 12 लाख रूपए से अधिक राशि की छूट मिली है। कार्यपालन अभियंता अमितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि उपभोक्ताओं को अधिकतम राहत देने के उद्देश्य से समाधान योजना संचालित की गई है। उपभोक्ता 31 दिसम्बर 2025 तक एकमुश्त भुगतान, सरचार्ज माफी व आसान मासिक किश्त में बिल भरने जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

नशा मुक्ति, एड्स जागरूकता एवं हार्टफुलनेस मेडिटेशन पर एक दिवसीय कार्यशाला हुई

नवभारत न्यूज

पन्ना 7 दिसंबर। आज पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल पन्ना में नशा मुक्ति, एचआईवी/एड्स जागरूकता एवं मानसिक स्वास्थ्य उन्नयन हेतु हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेशन का आयोजन किया गया । कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञो द्वारा बताया गया कि नशामुक्त समाज बनाने के लिए पुलिस की सतर्कता, जनता की जागरूकता और चिकित्सकों का मार्गदर्शनकृतीनों अत्यंत आवश्यक हैं।

कार्यक्रम के दौरान जिला चिकित्सालय पन्ना से उपस्थित विशेषज्ञो डॉ. हेमंत चैहान, डॉ. सुबोध अखिलेश श्रीवास (एचआईवी/एड्स डीएसआरसी परामर्शदाता) एवं अशोक कुशवाहा, ओसीटी परामर्शदाता द्वारा नशा मुक्ति के संबंध में जानकारी साझा करते हुये बताया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब/नशा का सेवन करने पर पुलिस द्वारा किए जाने वाले दंडात्मक प्रावधान, तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर कोटपा एक्ट के तहत की जाने वाली कार्रवाई, स्कूल/कॉलेज परिसर से 100 मीटर के अंदर तंबाकू बिक्री

पर सख्त प्रतिबंध, नशे की हालत में वाहन चलाने, शांति भंग करने या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने पर दंड, अवैध शराब, नशीले पदार्थों एवं मादक दवाओं की बिक्री पर विशेष अभियान संचालन एवं पुलिसकर्मियों को नशा नियंत्रण में समुदाय-आधारित कार्यवाही के महत्व से अवगत कराया गया।

विशेषज्ञो द्वारा बताया गया कि एचआईवी वायरस के संक्रमण के वास्तविक कारण, संक्रमण न फैलने वाले सामान्य संपर्कों के बारे में मिथकों का खंडन, समय पर एचआईवी टेस्ट कराने के फायदे, एआरटी से रोग पूरी तरह नियंत्रित होने की जानकारी, संक्रमित व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता, गोपनीयता और भेदभाव-रहित व्यवहार का महत्व, ड्यूटी के दौरान सुई चुभने या रक्तस्राव की स्थिति में अपनाई जाने वाली सावधानियो के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की गई विशेषज्ञों ने बताया कि जागरूकता ही एचआईवी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। सत्र के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्टफुलनेस तकनीक के माध्यम से तनाव प्रबंधन, मानसिक शांति, संयम, आत्म-अनुशासन एवं नशा मुक्ति के प्रभावी तरीकों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान रक्षित निरीक्षक पन्ना खिलावन सिंह कंवर, थाना प्रभारी कोतवाली पन्ना निरीक्षक रोहित मिश्रा, थाना प्रभारी देवेन्द्रनगर निरीक्षक रामआसरे सोनकर, थाना प्रभारी अमानगंज निरीक्षक रवि सिंह जादौन, थाना प्रभारी बृजपुर उप निरीक्षक शक्ति पाण्डेय, पुलिस लाइन पन्ना का पुलिस बल एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पन्ना का पुलिस बल उपस्थित रहे।

जपं सदस्य, सरपंच के 3 एवं पंच के रिक्त 21पर होगा चुनाव

नवभारत न्यूज

पन्ना 7 दिसंबर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया गया है। इस क्रम में पन्ना जिले में 30 सितम्बर 2025 की स्थिति में रिक्त जनपद पंचायत सदस्य के एक, सरपंच के 3 एवं पंच के रिक्त 21 पद पर उप निर्वाचन कराया जाएगा।

मतदान 29 दिसम्बर को होगा। उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य 8 दिसम्बर से शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र 15 दिसम्बर तक लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 16 दिसम्बर को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 18 दिसम्बर है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित है। पंचायतों में पंच पद के लिए मतगणना मतदान के तुरंत बाद मतदान केन्द्र पर ही होगी।

सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ईव्हीएम से की जाने वाली मतगणना 2 जनवरी को सुबह 8 बजे से होगी। इसी दिन सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जाएगी। पंच पद के लिए परिणामों की घोषणा 5 जनवरी को प्रात: 10.30 बजे से की जाएगी।

यहां होगा उप निर्वाचन

पंचायत उप निर्वाचन के तहत शाहनगर जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 14 में जनपद सदस्य के रिक्त पद पर, पन्ना ब्लॉक की ग्राम पंचायत बृजपुर एवं कोहनी तथा शाहनगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत हरदुआ मैमारी में सरपंच के रिक्त पद पर तथा पन्ना एवं पवई विकासखंड अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों के वार्ड में रिक्त पंच के क्रमश: 8 एवं 13 पद पर उप निर्वाचन कराया जाएगा। जनपद सदस्य एवं सरपंच का मतदान ईव्हीएम से तथा पंच का मतपत्र एवं मत पेटी के जरिए होगा। निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों को विद्युत कंपनी एवं पंचायत का नोड्यूज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर 10 को

पन्ना 7 दिसंबर। म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी संभाग पन्ना द्वारा बुधवार, 10 दिसम्बर को पन्ना शहर वितरण केन्द्र धरमसागर में जिला स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर लगाया जाएगा। शिविर का समय दोपहर 12 से 2 बजे तक निर्धारित है। विद्युत कंपनी के कार्यपालन अभियंता अमितेश मिश्रा द्वारा सभी विद्युत उपभोक्ताओं से शिविर में अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर बिजली बिल, मीटर, लाइन तथा अन्य विद्युत संबंधी शिकायतों का त्वरित समाधान कराने का आग्रह किया गया है।

गुनौर में अधूरा पड़ा पार्क सड़क के पौधे भी असुरक्षित

नवभारत न्यूज

पन्ना 7 दिसंबर। नगर परिषद गुनौर में पार्षदों और अध्यक्ष के बीच खींचतान के चलते विकास कार्य अटक गए हैं। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड रहा है।

नगर परिषद के जिम्मेदार एक साल बीत जाने के बाद भी पार्क का निर्माण पूरा नहीं करवा पाए हैं। कागजों में पौधरोपण कर वित्तीय गड़बड़ी की गई है। ये आरोप नगर परिषद के पार्षदों ने लगाए हैं। पार्षदों की मांग है कि निर्माण कार्यों की जांच कर कार्रवाई की जाए। पार्षदों को एक धड़ा अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पार्षदों ने सांसद, विधायक सहित अधिकारियों से भी नगर परिषद के मनमानी की शिकायत दर्ज कराई है। पार्षदों का आरोप कि परिषद के लगभग सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं, और जो कुछ काम किए जा रहे हैं, उनमें भी पारदर्शिता का अभाव है।

शिकायत के बाद भी जांच नहीं:- पार्षदों का कहना है कि उन्होंने कई बार कलेक्टर, सांसद और विधायक को आवेदन पत्र देकर शिकायत की, लेकिन आज तक कोई जांच शुरू नहीं की गई। नगर परिषद में न तो सड़क, नाली, पेयजल और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, न ही जनता तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंच रहा है। पार्क में गुणवत्ता अनदेखी की जा रही है। निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। पौधरोपण अभियान में भी गड़बड़ी की गई है। जमीन पर अधिकांश पौधे लगाए ही नहीं गए। जो लगाए भी गए थे देखरेख नहीं होने से कुछ ही दिनों में सूख गए।

ट्रक जाली तोड़ घर में घुसा

नवभारत न्यूज

पवई/पन्ना 7 दिसंबर। बीती देर रात एक ट्रक के अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक घर में जाली तोड़कर जा घुसने का मामला सामने आया है।

जानकारी अनुसार पन्ना से कटनी की ओर जा रहा ट्रक पवई नगर के वार्ड क्रमांक एक संदीपनी गार्डन के पास सड़क किनारे बने एक घर में जाली तोड़कर अंदर जा घुसा जिससे पास में रखा दुकान का डिब्बा क्षति ग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि घर के सभी लोगों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। बताया जाता है कि ट्रक चालक शराब के नशे में था,जिसकी वजह से वह ट्रक पर अपना नियंत्रण खो बैठा और ट्रक अनियंत्रित हो गया। घटना की सूचना तत्काल ही पवई पुलिस को दी गई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर को अभिरक्षा में ले जांच शुरू कर दी है।

तहसीलदार द्विवेदी की हार्ट अटैक से मौंत

पन्ना 7 दिसंबर। पन्ना जिला मुख्यालय मे प्रभारी नजूल तहसीलदार के पद पर पदस्थ शाकम्भरी प्रसाद द्विवेदी गत दिवस प्रात: 10.30 बजे हार्ट अटैक से मौंत हो गई। वे लगभग 54 वर्ष के थे। हासिल जानकारी के अनुसार उनके सीने मे प्रात:काल दर्द हुआ जहां उन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय ले जाया गया। लेकिन उन्होंने जिला चिकित्सालय मे दम तोड़ दिया। सूचना पाते ही राजस्व अधिकारियों में तहसीलदार, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर आदि जिला चिकित्सालय पहुंच गये और उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से उनके ग्रह जिले सतना रवाना किया गया। जिले के राजस्व अधिकारियों ने उनके दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया है।

बाल विवाह की रोकथाम के लिए निकाली रैली

नवभारत न्यूज

पन्ना 7 दिसंबर। बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 27 नवम्बर से 8 मार्च तक संचालित किया जा रहा है।

अभियान अंतर्गत गत शुक्रवार को महिला बाल विकास परियोजना पन्ना शहरी कार्यालय द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

साथ ही बाल विवाह की रोकथाम में सक्रिय सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया गया। बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं डायल 112 पर देने की अपील भी की गई।

विश्व मृदा दिवस पर किसानों को दी महत्वपूर्ण जानकारी

पन्ना 7 दिसंबर। इफको एवं कृषि विज्ञान केन्द्र पन्ना द्वारा संयुक्त रूप से गत दिवस विश्व मृदा दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वस्थ शहरों के लिए स्वास्थ्य मिट्टी की थीम पर आयोजित इस कर्यक्रम में मिट्टी के स्वास्थ्य और शहरी पर्यावरण पर इसके प्रभाव को रेखांकित किया गया। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कृषि विज्ञान केन्द्र प्रमुख डॉ. पी.एन. त्रिपाठी ने मृदा के गुण और प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि स्वस्थ मृदा के बगैर हमारा भोजन और पर्यावरण दोनों ही प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए मृदा स्वास्थ्य सुधार में सहयोग आवश्यक है। इफको के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार मौर्य ने किसानों को संतुलित उर्वरकों के प्रयोग पर जोर दिया।

होमगार्ड व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया

नवभारत न्यूज

पन्ना 7 दिसंबर। होमगार्ड ग्राउण्ड पन्ना में शनिवार को होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा दिवस का गरिमामय आयोजन हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर एवं मुख्य अतिथि ऊषा परमार ने सुमधुर बैंड ध्वनि के बीच परेड का निरीक्षण किया।

परेड कमाण्डर सहायक उप निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह यादव के नेतृत्व में अलग-अलग टुकड़ियों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट प्रदर्शित कर मुख्य अतिथि को परेड की सलामी दी गई। कार्यक्रम में राष्ट्रपति के संदेश का वाचन किया गया। जिला सेनानी होमगार्ड शालिवाहन पाण्डेय ने आपदा प्रबंधन तथा विभिन्न आपदाओं में राहत बचाव कार्य के संबंध में होमगार्ड की भूमिका के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा वालंटियर्स के योगदान तथा राहत बचाव उपकरणों के बारे में भी अवगत कराया। साथ ही स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर विभिन्न कार्यों में सहयोग की जानकारी भी दी। कार्यक्रम स्थल पर आपदा से बचाव का डिमांस्ट्रेशन दिखाया गया। कलेक्टर द्वारा उत्कृष्ट कार्य पर प्लाटून कमांडर सत्यपाल जैन सहित होमगार्ड के अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों का भी सम्मान हुआ।

दक्षिण वन मंडल ने जिला स्तरीय संयुक्त ग्राम वन प्रबंधन समिति सम्मेलन आयोजित किया

नवभारत न्यूज

पन्ना 7 दिसंबर। दक्षिण पन्ना वनमण्डल द्वारा आज संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का एक दिवसीय सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। इस अवसर पर वनमण्डल की 234 ग्राम वन समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सक्रिय सदस्य, वन अधिकारी एवं वनकर्मी उपस्थित रहे।

लगभग 700 प्रतिभागियों की भागीदारी के साथ यह सम्मेलन समुदाय और वन विभाग के बीच सहयोग एवं सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण बना। कार्यक्रम कलेही माता मंदिर परिसर, पवई में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन पवई वनपरिक्षेत्र अधिकारी नितेश पटेल एवं पवई रेंज टीम द्वारा किया गया। इसकी अध्यक्षता वनमण्डल अधिकारी दक्षिण पन्ना अनुपम शर्मा ने की, जबकि उत्तर पन्ना वनमण्डल अधिकारी गर्वित गंगवार मुख्य अतिथि रहे। मंच पर भा. व. से. प्रशिक्षु अधिकारी अक्षत जैन और अंशुल तिवारी, उपवनमण्डल अधिकारी नितिन निगम, सहायक वन संरक्षक अंकुर गुप्ता तथा दक्षिण पन्ना के सभी परिक्षेत्र अधिकारियों की उपस्थिति रही।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं अतिथियों के स्वागत से हुई। वनमण्डल अधिकारी अनुपम शर्मा ने दक्षिण पन्ना वनमण्डल के कार्यों और संयुक्त वन प्रबंधन की उपलब्धियों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारियों ने अतिक्रमण, अवैध कटाई, शिकार तथा वन अग्नि नियंत्रण में समितियों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर एकलव्य शिक्षा योजना एवं दक्षिण पन्ना वनमण्डल के क्षतिपूर्ति वनीकरण के प्रयासों पर आधारित दो प्रेरक डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की गईं।

सम्मेलन में पटना तमोली वन समिति अध्यक्ष अजय चैरसिया द्वारा संकलित पुस्तिका दक्षिण पन्ना की तितलियां तथा वनरक्षक जगदीश अहिरवार द्वारा संकलित दक्षिण पन्ना के औषधीय पौधे का विमोचन किया गया। इसके बाद एकलव्य शिक्षा विकास छात्रवृत्ति योजना और बांस मिशन के हितग्राहियों को चेक वितरित किए गए।

तत्पश्चात, दक्षिण पन्ना वनमण्डल की 20 उत्कृष्ट ग्राम वन समितियों के अध्यक्षों और वनकर्मियों को प्रशस्ति पत्र एवं चेक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन उत्तर पन्ना वनमण्डल अधिकारी गर्वित गंगवार के उद्बोधन से हुआ। कार्यक्रम के उपरांत सभी वन समितियों के प्रतिनिधियों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब वन अग्नि नियंत्रण हेतु दिसंबर से फरवरी माह में किए जाने वाले अग्नि रेखा / फायर लाइन कटाई-जलाई कार्य का भुगतान संबंधित वन समितियों द्वारा किए गए सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) के उपरांत ही किया जाएगा।

साथ ही, फायर सीजन मार्च से मई 2026 के दौरान यदि कोई समिति अपने क्षेत्र में वन अग्नि घटनाओं की संख्या को पिछले तीन वर्षों के औसत की तुलना में आधी या उससे कम रखने में सफल रहती है, तो उसे 10,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

नरवाई प्रबंधन के लिए करें कृषि यंत्रों का क्रय

कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नरवाई प्रबंधन के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों के क्रय हेतु कृषकों से आगामी 9 दिसम्बर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर विभिन्न यंत्रों के क्रय के लिए सहायक कृषि यंत्री दमोह के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाकर आवेदन किया जा सकता है। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर एवं स्मार्ट सीडर के लिए 4500 रूपए, श्रेडर-मल्चर के लिए 5500 रूपए, बेलर के लिए 15 हजार रूपए, हे रेक व स्ट्रॉ रेक के लिए 5 हजार रूपए तथा कृषि यंत्र स्लेशर के लिए 2 हजार रूपए की डीडी अनिवार्य है।